

FORM - III**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
 भगवान दास बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए. 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्या 191 सन् 2025
 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / २७४

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.06.2025	<p>पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय सम्बल पखवाडा ग्राम पंचायत 9 एफ ए भाड़ीवाला में प्रार्थी भगवान दास पुत्र रामरख जाति विश्नोई साकिन 3 एफ बी मार्फत विनोद कुमार पुत्र भगवान दास जाति विश्नोई साकिन 3 एफ बी तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 1442 दिनांक 27.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 व भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की वहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/59 की प्रति, बैयनामा की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/59 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम भगवान दास पुत्र रामराज के स्थान पर भगवान दास पुत्र रामरख दर्ज करवाने वावत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक उक्त रकबा प्रार्थी को पंजीकृत बैयनामा उपपंजीयक श्रीकरणपुर क्रमांक 35 दिनांक 18.01.1983 के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 02.05.1987 के द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त नामान्तरण में प्रार्थी का नाम भगवान दास पुत्र रामराज दर्ज है। जबकि बैयनामा में खरीददार के पिता का नाम रामरख दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्व अभिलेख में नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से क्रेता के पिता का नाम रामरख के स्थान पर रामराज दर्ज हो गया। जो लिपिकीय भूल से हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/59 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम भगवान दास पुत्र रामराज के स्थान पर भगवान दास पुत्र रामरख दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।</p>	



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

भगवान दास बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 191/2025
निर्णय दिनांक :-27.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/59 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम भगवान दास पुत्र रामराज के स्थान पर भगवान दास पुत्र रामरख दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 27.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (भिवानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (भिवानगर)
दिनांक 27.06.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/441

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (भिवानगर)